

साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू—अर्जन शाखा, साहेबगंज
अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

संख्या—डी०एल०ए० साहेबगंज

19

/ 15—16 / 309 / भू०अ०, दिनांक—20.5.17

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना पतना—हिरणपुर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु, मौजा—बड़ा दुर्गापुर थाना—रांगा, थाना सं०—17, अंचल—पतना, जिला—साहेबगंज में कुल—0.4556 एकड़ भूमि अपेक्षित है। इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू—खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.4556 एकड़ यानिX..... हेक्टेयर है, जिसका विवरणी निम्नलिखित है :—

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	प०	प०
01	16	754	धानी—1	रैयती	0.3912	अशोक राय, विजय राय, पिता—हराधन राय वौरेह	छोटा दुर्गापुर	754अंश 755अंश	दुर्गापुर	छोटा दुर्गापुर
02	18	755	धानी—1	रैयती	0.0644	सुधीर दुड़ू बाबुजी दुड़ू पे०—झादे दुड़ू	छोटा दुर्गापुर	754अंश 755अंश	दुर्गापुर	छोटा दुर्गापुर
				कुल—	0.4556					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०—30/2013 की धारा—15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :—

ग्राम—.....X....., थाना—..... X, थाना सं०—..... X, अंचल—..... X, जिला—..... X....., क्षेत्रफल—..... X..... एकड़ यानिX..... हे० जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं :—

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में भू—अर्जन अधिनियम अन्तर्गत रैयतों को उचित प्रतिकर यथा परिवहन भत्ता, पुनर्व्यवस्थापन भत्ता, जीवनयापन भत्ता यथा योग्य रूप से किया जायेगा।

३०९
उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 309 / भू०अ०, साहेबगंज, दिनांक 20.5.17

प्रतिलिपि :— प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, साहेबगंज को अगले अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना के पीछे उपर्युक्त ज्ञापांक का प्रकाशन जिला गजट में अधिसूचना के साथ करना आवश्यक है।

प्रतिलिपि :— निदेशक, भू—अर्जन झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

.....
उपायुक्त,
साहेबगंज।